धारा 124 : आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना

यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,–

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण के असफल रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझकर प्रस्तुत करता है या करवाता है,

तो वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिए पच्चीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।